न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मालाखेडा जिला अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी सुश्री नवज्योति कंवरिया (आर.ए.एस.)

प्रा0 पत्र संख्या	तारीख दायर	तारीख निर्णय
1/276	15.12.2022	30.01.2026

बउनवान

01. बाबु लाल पुत्र सुलतान, जाति मीणा, ग्राम पूनखर, तहसील मालाखेडा जिला अलवर

प्रार्थी/वादी

बनाम

01. मन्दिर श्री मुरली मनोहर जी महाराज, निवासी पुनखर तहसील मालाखेडा, अलवर राज० खातेदार जरिये पुजारी (1) श्री जितेन्द्र शर्मा (2) मोनू शर्मा, (3) सुरेन्द्र शर्मा पुत्रान बुद्धी लाल शर्मा, निवासी पुनखर, तहसील मालाखेडा, अलवर राज०
02. तहसीलदार मालाखेडा, तह० मालाखेडा अलवर राज०

अप्रार्थी/प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया। प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त वृतान्त इस प्रकार है कि आराजी खाता सख्या 342 खसरा नम्बर 1548 रकबा 0.24 हैक्टेयर वाके ग्राम पूनखर तहसील मालाखेडा जिला अलवर में स्थित है, जिसमें वादी का 1/16 हिस्सा है और वादी अपने हिस्से पर काबिज है और उस पर काश्तकारी करते हुए उपयोग उपभोग कर्ता आ रहा है। वादी खसरा न० 1548 में अपने हिस्से पर आने जाने के लिए प्रतिवादी की आराजी खसरा नम्बर 1553 रकबा 0.60 हैक्टेयर वाके ग्राम पूनखर तहसील मालाखेडा जिला अलवर की डौल में से कदीम समय से आता जाता रहा है और अब भी आ जा रहा है इसके अलावा वादी का अन्य कोई खसरा नम्बर में से आने जाने का रास्ता नही है। अब प्रतिवादी वादी को आराजी खसरा नम्बर 1553 वाके ग्राम पूनखर तहसील मालाखेडा जिला अलवर में से होकर आने जाने में बाधा पैदा करता है तथा बार बार रास्ते में झाड झीकड व जोत आदि लगा देते है और अगर वादी उक्त झाड झीकड को हटाता है तो प्रतिवादी झगडा फिसाद करता है। पूर्व में कभी भी प्रतिवादीगण ने वादीगण को वादग्रस्त रास्ते के उपयोग उपभोग करने व आमद रफत में किसी प्रकार की रूकावट व मजाहमत उत्पन्न नहीं की। प्रतिवादी ने वादी से दिली रंजिश रखे हुए हैं। दिनांक 14.11.2022 को प्रतिवादी ने झगडा फंसाद किया तथा वादी को आने जाने मे बाधा पैदा की व प्रतिवादी अपने परिवार के साथ अपने हाथो मे धारधार हथियार व टैक्टर लेकर आये और उक्त आराजी में बने रास्ते को जोत लगा कर अवरुद्ध कर दिया गाँव के दीगर लोगो ने समझाईश कर प्रतिवादी को रोका मगर प्रतिवादी ने एलानिया तौर से कहा कि हम डौल के रास्ते से आने जाने नहीं देगे। वादी ने इस बाबत तहसीलदार साहब मालाखेडा को प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया तो उन्होने कहा कि आप 251 (ए) राजस्थान टिनेन्सीएक्ट के द्वारा दावा कर रास्ता कायम करा सकते हो। अगर प्रतिवादी ने वादी को आराजी खाता सख्या 282 खसरा नम्बर 1553 वाके ग्राम पूनखर तहसील मालाखेडा जिला अलवर की डोल मे होकर नही आने जाने

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर)

दिया तो वादी को भारी क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी अन्य प्रकार से नही हो सकेगी। प्रार्थी ने रास्ता कायम कराये जाने का निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण तलब किये गये। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता हाजिर अदालत आये। अप्रार्थीगण असल के अधिवक्ता ने जवाब प्रस्तुत किया कि धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत किए जाने का प्रावधान है, जो भी निर्धारित प्रारूप में होना आवश्यक है। जबकि वादी ने आवेदन पत्र प्रस्तुत न करके दावा प्रस्तुत किया है, तथा निर्धारित प्रारूप में कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है। ऐसी सूरत में भी वादी का दावा कानूनन चलने योग्य नहीं है और काबिल खारिज है। प्रतिवादी मन्दिर श्री मुरली मनोहर जी महाराज, पूनखर है, जिसकी खातेदारी की आराजी में से कानूनन कोई नवीन रास्ता कायम नहीं किया जा सकता है न ही वादी इसका कानूनन अधिकारी है तथा मन्दिर की खातेदारी की आराजी बाबत मौजूदा दावा कानूनन चलने योग्य भी नहीं है। इसलिए दावा काबिल खारिज है। इतना स्वीकार है कि वादी ग्राम पूनखर में रह रहा है। खाता संख्या 342 के खसरा नंबर 1548 रकबा 24 ऐयर वाके ग्राम पूनखर में वादी का मात्र 1/16 हिस्सा अर्थात मात्र डेढ ऐयर है किन्तु वादी मौके पर कहीं काबिज नहीं है न कोई कार्य काश्तकारी करता है। प्रतिवादी की आराजी खसरा नंबर 1553 रकबा 60 ऐयर वाके ग्राम पूनखर की डोल में से कोई कदीमी से वादी की आवक जावक नहीं रही है न अब आ जा रहा है। यह भी गलत है कि वादी का अन्य कोई खसरा नंबर में से आने–जाने का रास्ता नहीं हो। इस चरण में वादी ने यह अंकित नहीं किया है कि खसरा नंबर 1553 की किस तरफ की डोल में से कदीम समय से वह आता जाता रहा है। इस तरह वादी के कथन गलत एवं भ्रामक हैं। वादी का खसरा नंबर 1553 में होकर कोई रास्ता न तो कभी रहा है न मौके पर कोई रास्ता है। इसलिए यह कहना कि प्रतिवादी बाधा पैदा करता है व झगड़ा फिसाद करता है, सरासर गलत व निराधार है। वादी का जब कोई रास्ता रहा ही नहीं है और न मौके पर कोई रास्ता है तो यह कहना कि प्रतिवादीगण ने वादी को पूर्व में कभी वादग्रस्त रास्ते के उपयोग उपभोग करने व आमद रफ्त करने में रूकावट व मजाहमत उत्पन्न नहीं की, सरासर गलत है। इस चरण में तमाम वाकेआत मनघढन्त रूप से महज दावा दायर करने के लिए दायर किया है। दिनांक 14.11.2022 को प्रतिवादी द्वारा कोई झगड़ा फिसाद नहीं किया। वादी को किसी तरह की क्षति होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार वाद पत्र मेन्टेनेबिल ही नहीं है। इसलिए दावा काबिल खारिज है। वादी ने जिस खसरा नंबर 1548 रकबा 24 ऐयर के लिए रास्ता मांगा है, उसमें वादी का मात्र 1/16 हिस्सा है तथा 1/16 हिस्सा का कुल डेढ ऐयर रकबा ही बनता है, जिस हेतु वादी कोई रास्ते की मांग नहीं कर सकता है। वादी ने बराय बदयांति प्रतिवादी की खातेदारी की आराजी में से नवीन रास्ता कायम कराने हेतु दावा दायर किया है जो काबिल खारिज है।

पत्रावली में तहसीलदार मालाखेडा से वर्तमान मौके की रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार मालाखेडा ने पत्र क्रमांक–राजस्व/25/1524 दिनांक– 24.11.2025 से अपनी रिपोर्ट मे अवगत कराया कि " वादी खसरा नम्बर 1548 एवं 1549 में सहखातेदार है। उक्त मे से खसरा संख्या 1549 गै0 मु0 सडक खसरा संख्या 1544 से लगता हुआ है। बावजूद इसके वादी द्वारा 251 (ए) के तहत रास्ता खसरा संख्या 1553 जो कि मन्दिर माफी की खातेदारी है, मे से चाहा गया है जो उचित प्रतीत नही होता है। वादी स्वयं की गै0मु0 सडक से लगते हुए खसरा नं0 से भी सुखाचार का उपभोग कर सकता है या रास्ता खसरा संख्या 1549 मे से ही दिया जावे। "

उभयपक्ष की पत्रावली में बहस सुनी। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष की बहस पर मनन किया।

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर)

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–क, मे अन्य खातेदार को नवीन रास्ता आत्यान्तिक आवश्यकता की स्थिति मे ही दिये जाने का प्रावधान है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपयोग के लिये नही है। अन्य खातेदार की जोत मे होकर विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले मे पहुंचने के लिये वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध करने मे प्रार्थी अभिधारी असफल रहा है। तहसीलदार मालाखेडा की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी खसरा संख्या 1548 रकबा 0.24 हैक्टेयर तथा 1549 रकबा 0.24 हैक्टेयर वाके ग्राम पूनखर तहसील मालाखेडा में सहखातेदार है तथा मौके पर खसरा संख्या 1549, खसरा संख्या 1544 किस्म गै0मु0 सडक से लगता हुआ है, उक्त रास्ता पूर्व से ही मौके पर मौजूद है जो प्रार्थी की खातेदारी भूमि मे जाकर मिलता है। प्रार्थी स्वयं की गै0मु0 सडक से लगते हुए खसरा संख्या से भी सुखाचार का उपभोग कर सकता है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पोषनीय नही होने पर खारिज किया जाता है।

(नवज्योति कंवरिया)
(आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
मालाखेडा (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर)

निर्णय आज दिनांक 30.01.2026 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(नवज्योति कंवरिया)
(आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
मालाखेडा (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर)